

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ ए-3-20-2019-1-पांच (43).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-16-2019-1-पांच-(31) दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, कॉलम (3) में, खण्ड 7 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

“8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18(4) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा.”

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों समेत, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो.”

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ ए-3-20-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2019-1-पांच (43), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2019

No. F A-3-20-2019-1-V(43).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (1) of Section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (herein after referred to as the “said Act”), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department notification F A-3-16-2019-1-V-(31) 17<sup>th</sup> May 2019, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, in column 3, after clause 7, the following clause shall be inserted, namely:—

“8. Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under this notification, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts the provisions of Section 18(4) of the said Act and the rules made there-under and after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.”;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, as applicable to a person paying tax under Section 10 of the said Act shall, *mutatis mutandis*, apply to a person paying tax under this notification.”.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 1<sup>st</sup> day of April 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.